न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र।

उपस्थितिः– अनिल कुमार खरवार, उ0प्र0 न्यायिक सेवा.,

फौजदारी वाद संख्या–972/ 2014 एन0सी0आर0नं0–48/ 2011

राज्य बनाम जिउत व अन्य।

धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–करमा, जनपद सोनभद्र।

–: आरोप :–

मैं, अनिल कुमार खरवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अभियुक्तगण जिउत, लल्लन तथा बालिकरन को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः– यहकि दिनांक 02.06.2011 को समय 04 बजे प्रातः बहद स्थान ग्राम खुटहनिया, थाना करमा, जनपद सोनभद्र में आप लोगों ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी श्रीमती मंजू देवी को स्वेच्छया मार कर उपहति कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य भा0दं0सं0 कीधारा–323 के अंतर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी को प्रकोपित करने के लिए उन्हें गालियां देकर अपमानित किये। आप लोगों का यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 21.10.2016

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांकः 21.10.2016

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।